राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, गाँधी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर
फोन नः 0141–2228060–61 फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/रो.उ.प./2012/958 दिनांकः 6.9.12
:

## कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य हेतु ई–निविदा सूचना वर्ष 2012–13

निगम द्वारा आगामी एक वर्ष के लिए कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य की दर संविदा हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी मुद्रणालयों से ई–निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती हैः–

| क्र. सं. | विवरण | अनुमानित राशि (₹ लाखों में) | धरोहर राशि (₹ लाखों में) | ई–निविदा शुल्क (₹) | ऑनलाइन ई–निविदा प्रपत्र विक्रय की तिथि | प्रि–बिड मीटिंग की तिथि व समय | ऑनलाइन ई–निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय | ऑनलाइन ई–निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय | ऑनलाइन ई–निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कार्बन लैस रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य | 360.00 | 7.20 | 2000.00 | 10.9.2012 | 17.9.2012 3.30 बजे | 10.10.2012 12.00 बजे तक | 10.10.2012 03.00 बजे तक | 10.10.2012 04.00 बजे |

ई–निविदा प्रपत्र वेबसाईट "http://eproc.rajasthan.gov.in" से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाईट "www.dipronline.org", www.rmsc.nic.in पर देखा जा सकता है। ई–निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबसाईट "http://eproc.rajasthan.gov.in" पर ही प्रस्तुत की जाएगी। **ई–निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. 2000.00 (रू. 1000.00 एसएसआई यूनिट राजस्थान के लिए), RISL प्रोसेसिंग फीस राशि रू. 1000.00 व ईएमडी राशि के अलग–अलग डी.डी./बी.सी. दिनांक 10.10.2012 समय दोपहर 2.00 बजे तक निगम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है।**

कार्यकारी निदेशक (गु.नि.)

# ई–निविदा

**कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रण फार्म हेतु ई–निविदा सूचना वर्ष 2012–13**

| | |
|---|---|
| निविदा क्रमांक : | |
| प्रि–बिड दिनांक, समय व स्थान : | 17.09.2012 समय 3.30 बजे स्थान कमरा संख्या–205 गाँधी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, जयपुर (राज.) |
| ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय : | 10.10.2012 समय सांय 3.00 बजे तक |
| निविदा प्रपत्र शुल्क: | Rs. 2000.00 (प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के पक्ष में देय) |
| राजस्थान की एसएसआई इकाइयों के लिए निविदा प्रपत्र शुल्क: | Rs. 1000.00 (प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के पक्ष में देय) |
| RISL प्रोसेसिंग शुल्क: | Rs. 1000.0 (प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल के पक्ष में देय) |

ई–निविदा प्रपत्र शुल्क, आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस एवं ईएमडी के डी.डी./बैंकर चैक उपर्युक्त नाम से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, गाँधी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर के कक्ष संख्या 105 में दिनांक 10.10.2012 समय दोपहर 2.00 बजे तक भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होगें।

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, गाँधी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर
फोन नः 0141–2228060–61 फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/रो.उ.प./2012/ दिनांकः

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड
ऑनलाईन ई–निविदा जमा कराने
की अन्तिम तिथि – 10.10.2012
समय 3.00 बजे तक
ई–निविदा प्रपत्र शुल्क–रूपये 2000

कार्य की अनुमानित लागत – रूपये 360.00 लाख
अमानत राशि – रूपये 7.20 लाख

## रोगी उपचार पत्र (कार्बन रहित पेपर) मुद्रण कार्य की दर संविदा हेतु ई–निविदा प्रपत्र

1. रोगी उपचार पत्र (कार्बन रहित पेपर) मुद्रण कार्य के लिए ई–निविदा ।
2. ई–निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, ..........................................................................
डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व ई–मेल सहित ..........................
..........................................................................................................................
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
4. किसको संबोधित किया गया – प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर।
5. ई–निविदा सूचना संदर्भ ------------------------------------------------------------------------
6. ई–निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रसीद संख्या ..........................दिनांक ........................ द्वारा जमा करा दी गई है तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या........................ दिनांक....................प्रबंध निदेशक, RMSC के पक्ष मे देय, आरएमएससी कार्यालय में भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत कर दिया है।
7. आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस राशि रू. 1000.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या .................. दिनांक .............................. प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल, जयपुर के पक्ष में देय भौतिक रूप से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है।
8. हम प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर द्वारा जारी की गई ई–निविदा सूचना **संख्या** ............. **दिनांक** ........................ में वर्णित शर्तो से तथा

संलग्न शीट में दी गई उक्त ई–निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

9. ई–निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न **प्रपत्र 'ब'** में मुद्रण कार्य संबंधी दरें सभी करों व आनुषंगिक प्रभारो सहित अंकित है। **बिक्री कर/वैट/केन्द्रीय बिक्री कर की दरें पृथक् से दर्शाई जानी है।**

10. रोगी उपचार पत्र मुद्रित सामग्री की आवश्यकतानुसार आपूर्ति अंतिम प्रूफ अनुमोदन/कार्यादेश दिनांक से 35 दिवस की अवधि में कर दी जाएगी। निगम द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति अवधि में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

11. रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य हेतु **प्रपत्र 'ब'** में दी गई दरें अनुमोदन की तिथि से 1 वर्ष तक के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तथा सामग्री विभिन्न चरणों में निगम की आवश्यकतानुसार आपूर्ति कर दी जाएगी।

12. ई–निविदा सूचना में अंकित अमानत राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट /बैंकर चैक संख्या .................... दिनांक .......................... राशि .............................. भौतिक रूप से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है।

13. ई–निविदा प्रपत्र के साथ बिक्री कर पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा **बिक्री** कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।

14. विनिर्माता/डीलर आदि होने का घोषणा पत्र संलग्न है।

15. टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न है।

16. Fall Clause प्रमाण प्रत्र संलग्न है।

17. पूर्व में मुद्रण कार्य/समान प्रवृत्ति के मुद्रण कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

**ई–निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर**

61

## रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य के लिए निर्धारित अन्य शर्ते

1. ई–निविदा सूचना में प्रकाशित सभी शर्ते इस ई–निविदा का भाग मानी जाएगी।
2. केवल ई–निविदा फार्म के साथ संलग्न **प्रपत्र 'ब'** में ही मुद्रक अपनी दरें दर्शाएँ। निगम के प्रोफार्मा के अतिरिक्त अन्य प्रोफार्मा में दी गई दरें मान्य नहीं होंगी। **प्रपत्र 'ब'** में दी गई दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट निर्धारित प्रोफार्मा में अंकित कर दी गई है। इसमें कोई कांट छांट (Over writing) नहीं है।
3. **निगम द्वारा सर्वप्रथम ऑनलाईन तकनीकी बिड खोली जाएगी जिसमें निम्नांकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–**

   I. ई–निविदा प्रपत्र शुल्क,

   II. अमानत राशि एवं आरआईएसएल प्रोसेसिंग शुल्क का बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट (लघु उद्योग इकाई को धरोहर राशि में नियमानुसार छूट देय होगी)।

   III. नवीनतम एवं वैध बिक्री कर/VAT चुकता प्रमाण पत्र एवं आयकर पेनकार्ड की प्रमाणित छाया प्रति।

   IV. VAT/CST के अतिरिक्त निगम द्वारा कोई भी कर, चुंगी, Excise Duty, Cess आदि देय नहीं होगा।

   V. Excise Duty लागू हो तो उसका प्रतिशत एवं राशि का उल्लेख पृथक से **(प्रपत्र 'ब')** वित्तीय ई–निविदा में किया जाएगा।

   VI. Excise Duty पृथक से नही दी जाएगी। यदि ई–निविदा देने के उपरान्त Excise Duty में Statutory कमी/बढ़ोत्तरी होगी तो वह वसूली/देय योग्य होगी परन्तु इसके लिए ई–निविदा दाता को संबंधित विभाग की अधिसूचना के साथ Excie विभाग को अतिरिक्त भुगतान की गई राशि के प्रमाण पत्र के साथ निगम को आवेदन करना होगा।

   VII. यदि कोई सामग्री उत्पाद शुल्क (Excise Duty) से मुक्त है तो इस संदर्भ में उत्पाद शुल्क से मुक्त होने का प्रमाण पत्र ई–निविदा दाता को देना होगा।

   VIII. मशीनरी से संबंधित विवरण (**प्रपत्र 'अ'** के विवरण के अनुरूप ही प्रेस फोर कलर की होना आवश्यक है। फोर कलर मशीन के क्रय से संबंधित आवश्यक बिल/दस्तावेज प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है)।

   IX. फर्म के मुद्रण संबंधी कार्यो के पिछले तीन वर्षो में से किसी एक वर्ष का टर्न ओवर कार्य की अनुमानित लागत से 1¼ गुणा या उससे अधिक अर्थात रू. 450.00 लाख या अधिक होना आवश्यक है। साक्ष्य हेतु ई–निविदा दाता फर्म द्वारा संबंधित वर्ष के प्रमाणित लेखे यथा लाभ–हानि खाता, ऑडिटेड़ बैलेन्स शीट आदि की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएँ।

   X. मशीनरी की क्षमता एवं मानव शक्ति के संबंध में आवश्यक जानकारी।

   XI. यदि फर्म लघु उधोग इकाई है तो प्रचलित नियमों के अनुसार सक्षम विभाग/अधिकारी द्वारा जारी लघु उधोग इकाई का प्रमाण पत्र। **निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र 'व') में शपथ–पत्र भी संलग्न करना है।**

   XII. फर्म के लैटर पैड पर विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप **प्रपत्र 'द'** में)

   XIII. ई–निविदादाता यदि फर्म/कम्पनी है तो अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो इस ई–निविदा के लिए विशेष रूप से फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत किया गया है। उसका नाम, पता तथा फर्म/कम्पनी में उसकी स्थिति (Status) का उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करते हुए स्पष्ट उल्लेख करेगा। निगम अन्य किसी से इस संबंध में सम्पर्क नहीं करेगा।

   XIV. टर्न ओवर प्रमाण पत्र **प्रपत्र 'स'** अंकेक्षक/सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित।

   XV. Fall clause प्रमाण **प्रपत्र 'र'** ।

XVI. पूर्व में मुद्रण कार्य/समान प्रवृत्ति के मुद्रण कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र **प्रपत्र 'य'** ।

XVII. फर्म/कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय होने का प्रमाण–पत्र मय कार्यालय का पता, दूरभाष एवं सम्पर्क सूत्र प्रतिनिधि का नाम एवं मोबाइल नम्बर ।

XVIII. स्पेशिफिकेशन के अनुसार नमूने के 05 सरस पैड **प्रपत्र 'ल'** के अनुसार Art work सहित। नमूने का सरस पैड कार्यालय समय में देख जा सकता है। उक्तानुसार तैयार नमूने के सरस पैड दिनांक 010.10.2012 समय दोपहर 2.00 बजे तक प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में भौतिक रुप में (Physically) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

**उक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजो/प्रमाण पत्रों का क्रम व्यवस्थित रूप में (I) से (XVIII) के अनुसार हो।**

4. वित्तीय निविदा (Price Bid) प्रत्येक ई–निविदादाता द्वारा ई–निविदा प्रपत्र के संलग्न एक्सल फोरमेट में ही प्रस्तुत की जाएगी (BOQ) ।
5. **तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मो की वित्तीय बिड किसी भी परिस्थिति में नहीं खोली जाएगी।** तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मो द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर निगम की तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी ई–निविदा को रद्द किया जा सकेगा तथा धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।
6. बयाना राशि राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से प्रदाय के लिए प्रस्तावित मात्रा के मूल्य की 0.5 प्रतिशत और प्रतिभूति राशि आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 प्रतिशत ली जाएगी अतः यदि फर्म लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी ई–निविदा के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाइयों के पंजीयन हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। **निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र 'व') में शपथ–पत्र भी संलग्न करना है।**
7. राजस्थान के बाहर की फर्मो तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम राजस्थान सरकार के नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान (Price Preference) की हकदार नही है, द्वारा निविदत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान ब्रिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय ब्रिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा। अर्थात् **स्थानीय व बाहरी फर्मो द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में, स्थानीय फर्म की दर से बिक्री कर/वैट को पृथक किया जाएगा जबकि बाहरी फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में केन्द्रीय बिक्री कर को सम्मिलित किया जाएगा।**
8. मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमान) नियम, 1995 व समय–समय पर संशोधन अनुसार दिया जाएगा।
9. ई–निविदाएँ, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
10. परीक्षणों के मामले में, ई–निविदादाता द्वारा जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) पर आपूर्ति किए गए कार्बनलैस रोगी उपचार पत्रों में से एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा शेष सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किए जाएँगें।
11. फर्म को मुद्रित कागज पर रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य की आवश्यकतानुसार आपूर्ति अंतिम प्रूफ अनुमोदन की दिनांक से या कार्यादेश के अनुसार निर्धारित अवधि में पूर्ण करनी होगी। निगम द्वारा मुद्रण कार्य हेतु विषय वस्तु फर्म को उपलब्ध करवाई जाएगी जिसकी फर्म द्वारा डिजाईन तैयार कर उसका अनुमोदन कार्यकारी निदेशक, (गु. नि.) राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर से करवाया जाना होगा तथा अंतिम प्रूफ अनुमोदन के पश्चात ही मुद्रण कार्य प्रारम्भ किया जाएगाँ। प्रूफ/डमी को निगम द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त भी

यदि अंतिम मुद्रण में त्रुटियां रह जाती है तो ऐसी स्थिति में त्रुटियों का शुद्धि पत्र फर्म को स्वयं के खर्चे पर मुद्रित कर निगम को उपलब्ध करवाना होगा एवं उक्त त्रुटि संशोधन के कारण सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि होने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमो के अनुसार परिनिर्धारित क्षति की राशि फर्म को देय राशि में से काटी जाएगी।

12. **रोगी उपचार पत्र** मुद्रण कार्य ई–निविदा एवं कार्यादेश की शर्तो के अनुसार पूर्ण करने पर प्रस्तुत बिलों का भुगतान निगम द्वारा एक माह में किया जाएगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक माह से अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।
13. कागज, विद्युत, पानी, स्याही, डीजल, पेट्रोल व अन्य किसी मद की दरों में वृद्धि होने पर फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
14. मुद्रक को मुद्रित सामग्री कार्यादेश में उल्लेखित विधि से बण्डलों में पैक कर निगम के राजस्थान के समस्त 33 जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला औषधि भण्डार गृहो (DDWs) में पहुँचानी होगी।
15. धरोहर राशि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान सरकार के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक द्वारा दिनांक 010.10.2012 समय दोपहर 2.00 बजे तक प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर के कार्यालय में कमरा संख्या 105 में भौतिक रूप से (Physically) जमा करवाया जाना आवश्यक हैं। निर्धारित समय एवं दिनांक के पश्चात् प्रस्तुत की गई EMD Considered नही की जाएगी एवं इस स्थिति में निविदा Considered नही की जाएगी।
16. फर्म को आदेशित सामग्री का मुद्रण आदेशित कागज पर विभिन्न निर्धारित जी.एस.एम. एवं साईज में ही निर्धारित स्फेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा। इससे जी.एस.एम. एवं साईज में कमी पर नियमानुसार अनुपातिक राशि बिल में से काटी जाएगी। आपूर्ति के मापदण्डों में सारभूत परिवर्तन किये जाने पर निगम को आपूर्ति अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं फर्म के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी संपादित की जा सकेगी।
17. ई–निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, निगम में स्वीकार करने एवं सामग्री का नियमानुसार प्रयोगशाला परीक्षण करवाने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
18. बिना ई–निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं RISL प्रोसेसिंग शुल्क के ई–निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं ई–निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
19. सफल ई–निविदादाता को वार्षिक अनुबंध राशि की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। राजस्थान की एसएसआई यूनिट को प्रतिभूति निक्षेप (एसडी) क्रय आदेश का एक प्रतिशत मूल्य देना होगा तथा निगम के साथ कार्य सम्पादन के संबंध में एग्रीमेन्ट भी करना होगा। प्रतिभूति राशि (SD) निम्न प्रकार से जमा कराई जा सकती है–
    1. डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक से रूप मे
    2. प्रतिभूति की राशि रु. 10 लाख से अधिक होने की स्थिति में बैंक गारन्टी स्वीकार्य होगी।
20. ई–निविदा फार्म में किसी प्रकार की कॉट छाँट व ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का संशोधन अस्वीकार्य होगा।
21. बातचीत केवल अपवादिक परिस्थितियों में ही ई–निविदा कारों से प्रचलित नियमों के अनुसार की जाएगी। जहाँ रिंग मूल्य उद्धरित किए गए हो या दरें अत्यन्त विचारणीय हो और क्रय समिति द्वारा प्रचलित बाजार दरों से अत्यधिक ऊँची समझी जाए। बातचीत के पश्चात भी यदि प्रतिस्पर्धात्मक या उचित और युक्तियुक्त दरें प्राप्त नहीं होती है तो क्रय समिति ई–निविदा को नामंजूर करने व पुनः आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकती है।

22. किसी भी ई–निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को होगा।
23. निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार लिक्विडेटेड डेमेज राशि 2.5 से 10.0 प्रतिशत वसूल की जाएगी (ई–निविदा प्रकाशन की वास्तविक अवधि को दृष्टिगत रखते हुए)। यदि परिसमापित क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किये गये कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:–
    क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5
    (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.0
    (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.5
    (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10

**टिप्पणी :–**

1. विलम्ब की अवधि आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।
2. स्वीकार की गई निर्धारित परिसमापित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
3. यदि सप्लायर किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर को आवेदन करेगा, किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि सप्लाई को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

24. सफल ई–निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से मुद्रित सामग्री प्रदान करने में असफल रहने पर अथवा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य अन्य मुद्रक से करा सकेंगे। इसके साथ ही धरोहर/प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ली जाएगी एवं फर्म के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही जैसे फर्म को ब्लैकलिस्ट करना इत्यादि संपादित की जा सकेगी।
25 मुद्रण कार्य निगम के निर्देशानुसार अनुमोदित एवं **प्रपत्र 'ल'** के डिजाइन के अनुसार करना होगा।
26. ई–निविदा में अंकित कार्य की मात्रा प्रतीकात्मक है उसमें कमी/वृद्धि भी की जा सकती है।
27. निगम को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को एकाधिक फर्मों को आवंटित किये जाने का अधिकार होगा।
28. सफल ई–निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए ई–निविदादाता की प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ले।
29. ई–निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसने वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस ई–निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को मुद्रित सामग्री की आपूर्ति नहीं की है। इसके लिए Fall clause प्रमाण पत्र **प्रपत्र 'र'** भी संलग्न करना होगा।
30. ई–निविदा की अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–II के नियम 68 ''खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्ते'' एवं अन्य प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुसार लागू होंगी।

31. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म ई–निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी ई–निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की अमानत/प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।
32. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

**प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी**

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

**ई–निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर**

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, गाँधी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर
फोन नः 0141–2228060–61 फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/रो.उ.प./2012/ दिनांकः

**(रोगी उपचार पत्र मुद्रक ई–निविदा फार्म के साथ प्रिंटिंग प्रेस संबंधी निम्नलिखित सूचना भी सलंग्न करें)**

1. प्रिटिंग प्रेस का नाम ........................................
2. प्रिटिंग प्रेस का पूरा पता ........................................
   ........................................
3. प्रोपराइटर/साझेदार का नाम व घर का पता
   अ. ........................................
   ब. ........................................
   स. ........................................
4. फोन नंबर (कार्यालय) .................... निवास....................
   मोबाईल नंबर .................... फैक्स नंबर ....................
5. यदि प्रेस का रजिस्ट्रेशन प्रेस एवं फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत किया हुआ है तो उसकी एक प्रति संलग्न करें।
6. यदि प्रेस निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर से लघु इकाई के रूप में पंजीकृत है तो उसकी प्रति संलग्न करें।
7. फर्म के मुद्रण संबंधी कार्यो के पिछले तीन वर्षो में से किसी एक वर्ष का टर्नओवर जो कि कार्य की अनुमानित लागत के 1¼ गुणा या उससे अधिक अर्थात् राशि रू. 450.00 लाख या अधिक होना आवश्यक है।
8. मशीनरी से संबंधित विवरण **(प्रपत्र 'अ' के विवरण के अनुरूप ही प्रेस फोर कलर की होना आवश्यक है। फोर कलर मशीन के क्रय से संबंधित आवश्यक बिल/दस्तावेज प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा ई–निविदा निरस्त कर दी जाएगी)।**

अ) कार्यरत आफसैट प्रेस

| क्र.सं. | आफसैट मशीनों का विवरण मय मार्क | साईज | कलर | स्वचालित या हस्त चालित | इम्प्रेशन प्रति घंटा |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ब) प्रोसेसिंग एवं कम्पोजिंग का विवरण

1. फोटो कैमरा/स्केनर ........................................
2. प्लेट मेकिंग/ब्लाक मेकिंग ........................................
3. फोटो टाईप सेंटर/डी.टी.पी.उपकरण ........................................



61

स) बाइण्डिग मशीनरी उपकरण

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | कटिंग मशीन की संख्या | :– | ........................... |
| 2. | फोल्डिंग मशीन की संख्या | :– | ........................... |
| 3. | स्टेचिंग मशीन की संख्या | :– | ........................... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | प्रेस में कार्यरत श्रमिकों की संख्या | :– | ........................... |
| 1. | कार्यालय | :– | ........................... |
| 2. | प्रोसेसिंग शाखा | :– | ........................... |
| 3. | मुद्रण शाखा | :– | ........................... |
| 4. | बाइण्डिंग शाखा | :– | ........................... |

10. साप्ताहिक अवकाश ...........................

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर

Tender Inviting Authority: MD RMSC, Jaipur

Name of Work: Printing of Carbonless Prescription Slips

Contract No. F.9 ( ) /RMSC/Store/PS/2012/958 Date 06.09.2012

Bidder Name:

**PRICE SCHEDULE**

| Sl. No. | Item Description | Item Code / Make | Quantity (In Lacs) | Units (In Saras Pads) | Estimated Rate (In Rs. Lacs) | Basic Price (In Rs.) for each unit including packing, freight, insurance, etc. | Excise Duty (In Rs.) | VAT (In Rs.) | CST (Consessional CST against C Form) In Rs. | Total Amount of each unit In Rs. (Basic price + Excise Duty + CST/VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | रोगी उपचार पत्र मुद्रण-कार्बन लैस पेपर प्रथम प्रति सफेद CB 52 GSM एव द्वितीय प्रति पीली CF 53 GSM सिंथ लोक आकार - 8.00" X 5.50" अनुमानित संख्या - 07 (सात) करोड़ (50+50 रोगी उपचार पत्रों के सेट सरस पेड पर तैयार करने होंगे Bottom 296 GSM Hard Card Sheet with one extra hard card sheet to insert inside the saras pad. Top 80 GSM Brown paper and minimum carbon coating should be 7 GSM.) | 001 | 700.00 | 1400000.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***Total In Figures | | | | | | | | | | |
| ***Total in Words | | | | | | Rupees Only | | | | |

नोट :- दरों का अंकन अंको व शब्दों में किया जाना आवश्यक होगा तथा विक्री कर/वैट आवश्यक रूप सें पृथक से दर्शाया जाना है।

<u>नियम एवं शर्ते</u> :-

1. बण्डल पैकिंग निगम के निर्देशानुसार मलट पेपर (खाकी पेपर) से छः ओर पैकिंग की जानी होगी।

2. पैकिंग के ऊपर निगम द्वारा जारी विवरण रेपर टकित कर लगाया जाना होगा।

3. बण्डल पैकिंग व विवरण रेपर की दरें उक्त कार्य में सम्मलित मानी जाएगी।

4. बाईन्डिग कार्य में विभिन्न प्रकार के कार्य के विवरणानुसार अर्थात् स्पेशिफिकेशन के अनुसार गत्ता कार्य, गम की आवश्यकता होने पर बाईन्डिंग कार्य की दर पृथक से देय नहीं होगी।

5. फर्म के पास दो ऑफसेट मशीन होना अनिवार्य है। जिसमें एक मशीन की न्यूनतम साईज 18" X 23" अनिवार्य है। साथ ही प्रिन्टिंग, बाईन्डिंग, प्रोसेसिंग, प्लेट मेकिंग आदि समस्त कार्य एक ही परिसर में होना चाहिए।

6. मुद्रण कार्य के तहत् मद अधिक होने के कारण न्यूनतम दर दाता का निर्धारण दरों के समग्र विशलेषण से किया जाएगा अर्थात जिन मदों में मुख्य (अधिक) व्यय सम्भावित हो उनका वेटेज अधिक रखा जाएगा।

प्रपत्र –स

## वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म ........................................................का विगत तीन वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

| क्र.सं. | वर्ष | टर्न ओवर (राशि रू. लाखों में) |
|---|---|---|
| 1. | 2009—10 | |
| 2. | 2010—11 | |
| 3. | 2011—12 | |

दिनांक

अंकेक्षक / सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण
संख्या

प्रपत्र –द

## ई–निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए ई–निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से (forfeited) कर किया जा सकेगा तथा ई–निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र –य

## ई–निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन प्रिन्टिंग/स्टेशनरी सामग्रियों/ कार्बन लेस पेपर पर मुद्रण सामग्री की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्ति Sub Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र – र

# Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन मुद्रित कार्बन लेस रोगी उपचार पत्रो की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस ई–निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को मुद्रित कार्बनलैस रोगी उपचार पत्रों की आपूर्ति नहीं की है।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र 'ल'

# राजस्थान सरकार

## राजकीय चिकित्सालय ..............................
## रोगी उपचार पत्र

सर्वे सन्तु निरामयाः

पंजीयन क्रमांकः............................ दिनांक ............... पंजीयन शुल्क ₹ ----

रोगी का नाम........................................ आयु......... स्त्री / पुरुष

निदान.................................

| | $R_x$ | योग |
|---|---|---|
| | हस्ताक्षर चिकित्सक | प्राप्ति हस्ताक्षर रोगी |

- मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयाँ, सर्जिकल्स आदि निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र पर उपलब्ध है।
- इनके अतिरिक्त अन्य दवाइयाँ, इम्प्लान्ट्स आदि लाइफ लाइन ड्रग स्टोर पर उचित मूल्य पर उपलब्ध है।

प्रपत्र 'व'

# Affidavit

**(on non-judicial stamp paper of Rs. 10/-)**

I.............................. S/o .................................... Aged.............. yrs, residing at ...................... Proprietor/Partner/Director of M/s ...................... ..................... do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s ........................ has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center .................. The acknowledgment No. is .....................Dated ..................and has been issued for manufacture of following items:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

# Verification

I...................... S/o ...................Aged ................. yrs residing at ........................... Proprietor / Partner/ Director of M/s .................. verify and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.

Deponent